न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
024/2018 (GCMS 2018/00052)	02.07.2018	17.03.2021

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

उंकारसिंह पिता कालुसिंह जाति राजपुत निवासी पिनोदडा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अप्रार्थी

–:: प्रार्थना पत्र अंतर्गत राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना सरकारी भूमि का आवंटन) नियम, 1968 के नियम 17–क विरूद्ध आदेश दिनांक 26.06.1992 ::–

उपस्थिति :– श्री भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता) एक तरफा — प्रार्थी / अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रकरण संख्या का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार बडीसादडी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना सरकार भूमि का आवंटन) नियम, 1968 के नियम 17–क के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि पटवारी पटवार मण्डल पुनावली द्वारा दिनांक 18.03.2018 को रिपोर्ट पेश की गई, पटवारी रिपोर्ट अनुसार मौजा पिनोदडा के खाता संख्या 102 आराजी नम्बर 303 रकबा 0.21 हैक्टर भूमि उंकारसिंह पिता कालुसिंह जाति राजपुत निवासी पिनोदडा के नाम गैरखातेदारी दर्ज रिकार्ड है। अवलोकनार्थ मूल रिपोर्ट, जमाबन्दी नकल संलग्न है। उक्त भूमि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी के मिसल संख्या 39/1992 दिनांक 26.06.1995 द्वारा बिलानाम आराजी नम्बर 169 रकबा 82 बिघा 15 बिरवा किस्म भूरी में से 1 बिघा भूमि कृषि–प्रयोजनार्थ गैर खातेदारी तौर पर आवंटन की गई। जिसको नामान्तरण संख्या 261 दिनांक 12.07.1995 से उंकारसिंह पिता कालुसिंह जाति राजपुत निवासी पिनोदडा के नाम दर्ज की गई। अवलोकनार्थ मिलान क्षेत्रफल की नकल, नामान्तरण की छाया प्रति संलग्न हैं। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत पर्चामौका अनुसार आराजी नम्बर 303 रकबा 0.21 हैक्टर भूमि जो उंकारसिंह पिता कालुसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:15:38 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाति राजपुत निवासी पिनोदडा को कृषि प्रयोजनार्थ गैर खातेदारी तौर पर आवंटन की गई। उक्त भूमि पर आवंटन के पश्चात् से अब तक गैर खातेदार का कब्जा नहीं है। उक्त आराजी पर अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा व काश्त की जा रही है। अवलोकनार्थ पर्चा मौका की नकल संलग्न है। उक्त भूमि गैर काबिल काश्त होने से धारा 17(क) राजस्थान उप निवेशक (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना राजकीय भूमि का आंवटन) काश्तकारी अधिनियम 1968 के तहत आवंटी का आंवटन निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है की गैरखातेदार उंकारसिंह पिता कालुसिंह जाति राजपुत निवासी पिनोदडा गैरखातेदारी भूमि पर आवंटन नियमों की पालना नहीं किये जाने से गैरखातेदारी भूमि का प्रकरण 17(क) के तहत आवंटन निरस्त करने का आदेश फरमावे।

इस पर प्रार्थी निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी से मूल अभिलेख पत्रावली संख्या 239/1992 निर्णय दिनांक 20.06.1995 को तलब किया गया। इस पर उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी द्वारा पत्रांक/राजस्व/2021/77 दिनांक 22.02.2021 से मूल अभिलेख प्रेषित किया गया जो कि रिकार्ड पर होकर पत्रावली के हम किता है।

दिनांक 17.03.2021 को उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी से प्राप्त अभिलेख का रिकार्ड पर लिया गया। हमने पत्रावली का आद्यौपान्त बागौर अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी से प्राप्त अभिलेख पत्रावली प्रकरण संख्या 392/1992 निर्णय दिनांक 26.06.1992 में संलग्न न्यायालय जिला कलक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 19/2005 रे.प्रा.पत्र निर्णय दिनांक 21.04.2008 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मनन किया। हस्तगत प्रकरण में इसी न्यायालय द्वारा पूर्व में विधिवत सुनवाई की जाक गुणावगुण पर प्रकरण को निस्तारित किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में पत्रावली को निर्णय हेतु रिजर्व रखा गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। मूल अभिलेख पत्रावली संख्या 239/1992 निर्णय दिनांक 26.06.1992 के अवलोकन से जाहिर आया है कि उक्त विवादित का आवंटन को प्रार्थी उंकारसिंह पिता कालुसिंह जाति राजपूत निवासी पिनोदडा को उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना सरकारी भूमि आवंटन) नियम 1968 के अन्तर्गत शर्तो के अधीन आवंटित की गई। जिसके विरूद्ध तहसीलदार बडीसादडी द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़ में कोलोनाईजेशन एक्ट के नियम 17(क) के तहत आवंटन निरस्त कराये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:15:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया गया, जो कि न्यायालय जिला कलक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़ में दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई उपरांत निर्णय दिनांक 21.04.2008 से उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा मौजा पिनोदडा के आराजी संख्य 169 रकबा 1 बीघा का दिनांक 15.06.1992 को किया गया आवंटन निरस्त किया गया। ऐसी स्थिति में न्यायालय जिला कलक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त किया जाना जाहिर होता है।

हमने पत्रावली का अध्ययन/परिशीलन किया। विधि के सुस्थापित सिद्धांतो का मनन किया। विधिक प्रावधानों के अंतर्गत धारा 11 जा0दी0, 1908 में प्रावधान प्रावधित किये गये है कि –

11 Res judicata— No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such Court.

Explanation I.—The expression "former suit" shall denote a suit which has been decided prior to the suit in question whether or not it was instituted prior thereto.

Explanation II.—For the purposes of this section, the competence of a Court shall be determined irrespective of any provisions as to a right of appeal from the decision of such Court.

Explanation III.—The matter above referred to must in the former suit have been alleged by one party and either denied or admitted, expressly or impliedly, by the other.

Explanation IV.—Any matter which might and ought to have been made ground of defence or attack in such former suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit.

Explanation V.—Any relief claimed in the plaint, which is not expressly granted by the decree, shall, for the purposes of this section, be deemed to have been refused.

Explanation VI.—Where persons litigate bona fide in respect of public right or of a private right claimed in common for themselves and others, all persons interested in such right shall, for the purposes of this section, be deemed to claim under the persons so litigating.

Explanation VII.—The provisions of this section shall apply to a proceeding for the execution of a decree and reference in this section to any suit, issue or former suit shall be construed as references, respectively, to proceedings for the execution of the decree, question arising in such proceeding and a former proceeding for the execution of that decree.

Explanation VIII.—An issue heard and finally decided by a Court of limited jurisdiction, competent to decide such issue, shall operate as res judicata in as

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:15:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

subsequent suit, notwithstanding that such Court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised.]

अंतर्गत धारा 11 जा0दी0, 1908 में व्यवस्था की गई कि कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नही करेगा जिसमे प्रत्यक्षतः या सारतः (**directly or substantially**) विवाद–विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारो के बीच के या ऐसे पक्षकारो के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनसे कोई वाद करते हैं, किसी पूर्ववती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा हैं, जो ऐसे पश्चात्वर्ती वाद का या उस वाद का जिसमे ऐसा विवाद्यक बाद में उठाया गया हैं, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चूका हैं और अंतिम रूप से निर्णित किया जा चूका हैं। ऐसी स्थिति में उक्त प्रश्नगत आवंटन आदेश के संबंध में सक्षम न्यायालय विचार कर चुका है एवं इस प्रार्थना पत्र के प्रार्थी/निगराकार तहसीलदार बडीसादडी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तूत किया गया, जिसमें प्रार्थी/निगराकार तहसीलदार बडीसादडी को चाही गई दाद न्यायालय द्वारा प्रदान की जा चुकी है, ऐसी स्थिति में पश्चातवर्ती उक्त प्रकरण अन्तर्गत धारा 11 जा0दी0 1908 से बाधित होने से इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होने से खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी/निगराकार तहसीलदार बडीसादडी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत अंतर्गत राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना सरकारी भूमि का आवंटन) नियम, 1968 के नियम 17–क विरूद्ध आदेश दिनांक 26.06.1995 विरूद्ध उंकारसिंह पिता कालुसिंह जाति राजपूत निवासी पिनोदडा इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होने से खारीज किया जाता है, एवं तहसीलदार बडीसादडी को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय जिला कलक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 019/2005 अनवानी सरकार बनाम उंकारसिंह निर्णय दिनांक 21.04.2008 में माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की नियमानुसार पालना की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार बडीसादडी का पालनार्थ भिजवाई जावें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **17.03.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:15:38 IST
Reason: SelfAttested